



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1947 (श 0)

(सं० पटना 1785) पटना, बुधवार, 17 दिसम्बर 2025

सं० 3ए-3-भत्ता-03/2022-12737/वि०
वित्त विभाग

संकल्प

15 दिसम्बर 2025

विषय:— पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5782, दिनांक-21.05.2025 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से 466% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/4(iii)/2025-E.II(B), दिनांक-06.10.2025 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 466% से बढ़ाकर 474% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः सम्यक् विचारोपरान्त पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. उक्त के फलस्वरूप दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई भत्ता की राशि को महँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया जाएगा।

- 4.3. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महुँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महुँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महुँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।
- 4.4. महुँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- 4.5. उपर्युक्त महुँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।
- 4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महुँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द किशोर,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1785-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>